रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-747/2018/1632/22-2-2018-17(342)/2018

लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **02 अक्टूबर, 2018 को महात्मा गॉधी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष पर जिला कारागार, वाराणसी** में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष **बन्दी शोभनाथ पाल (बन्दी संख्या-476/2016) पुत्र श्री वीरबल पाल, जो-** गौरा उपवार, थाना-चौबेपुर, जनपद-वाराणसी का रहने वाला है**,** जिन्हें **वाद संख्या-479/12** के अन्तर्गत **धारा-306/34, आई0पी0सी0** के अधीन **दिनांक 11.05.2016** को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0-14 वाराणसी द्वारा **10 वर्ष के सश्रम दण्ड से दण्डित** किया गया बंदी की आयु 65 वर्ष 02 माह है तथा जिनके द्वारा दिनांक 04.09.2018 तक 06 वर्ष 02 माह 14 दिन की अपरिहार सजा काटी गयी है, जो कुल दी गयी सजा के 50 प्रतिशत से अधिक है एवं जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-747/2018/1632(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी ।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in